निर्णय बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड

प्रकरण संख्याः 27/दावा/2021

ऑन लाइन प्रकरण संख्या 2021/36 तारीख दायरा 23.03.2021

उनवान

लीलाबाई पुत्री किशोर जाति तंवर निवासी छान का पुरा मजरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़

----वादनी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राज0

--- प्रतिवादी

वाद/प्रार्थना पत्र धारा 136 राज0ले0रे0एक्ट

निर्णय

उपस्थितिः– वकील वादनी श्री कैलाश चन्द वैष्णव

दिनांक 24.06.2022

पत्रावली पेश हुई संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि वादनी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 ले0रे0ए0 के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम दांगीपुरा पटवार हल्का दांगीपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान के माल की खाता संख्या नया 239 पुरानी 201 की कुल 2 किता की 2.5576 हैक्टेयर भुमि, व खाता संख्या नया 114 पुरानी 100 की कुल 14 किता की 5.9165 हैक्टेयर भुमि आराजी वादनी के शामिल खातेदारी में दर्ज है। वर्णित आराजी में वादनी का नाम गीता पुत्री किशोर दर्ज हो रहा है तथा वाद कि मद न0 2 में वादनी का नाम लीला पुत्री किशोरी दर्ज हो रहा है, जो गलत है। वाद की मद न0 01 में वादनी का सही नाम लीला पुत्री किशोर है तथा वाद की मद न0 02 में वादनी के पिता का सही नाम लीला पुत्री किशोर है। वादनी का नाम अन्य दस्तावेजो जैसे आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, पहचान पत्र में लीला पुत्री किशोर दर्ज हो रहा है। उक्त आराजी में वादनी ने लीला पुत्री किशोर हेतु प्रतिवादी तहसीलदार मनोहरथाना से कई बार निवेदन किया तथा आवेदन किया परन्तु उनके द्वारा कोई संतोशप्रद जवाब नही देने पर पुनः अंतिम बार दिनांक 20.02.2021 को आवेदन करने पर कोई सुनवाई नही करने से वाद कारण उत्पन्न हुआ। अतः वर्णित आराजी ग्राम दांगीपुरा पटवार हल्का दांगीपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान के माल की खाता संख्या नया 239 पुरानी 201 की कुल 2 किता की 2.5576 हैक्टेयर भुमि, व खाता संख्या नया 114 पुरानी 100 की कुल 14 किता की 5.9165 हैक्टेयर भुमि आराजी में वादनी का नाम लीला पुत्री किशोर दर्ज कर राजस्व रिकार्ड अमल दरामद की जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी से जवाब तलब किया गया प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब संलग्न पत्रावली किया गया मुताबिक जवाब प्रतिवादी तहसीलदार, वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से सहमत है तथा उक्त राजस्व रिकार्ड मे वादनी का नाम गीता पुत्री किशोर दुरूस्त कर लीला पुत्री किशोर से सहमत है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादनी द्वारा प्रस्तुत तर्क एंव दस्तावेज पर गौर किया गया। वादनी एवं प्रतिवादी प्रार्थना पत्र के तथ्यो से सहमत है। अतः वादनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार को आदेश दिया जाता है कि वर्णित आराजी ग्राम दांगीपुरा पटवार हल्का दांगीपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान के माल की खाता संख्या नया 239 पुरानी 201 की कुल 2 किता की 2.5576 हैक्टेयर भुमि, व खाता संख्या नया 114 पुरानी 100 की कुल 14 किता की 5.9165 हैक्टेयर भुमि आराजी में वाद की मद न0 01 में वादनी का नाम गीता पुत्री किशोर तथा वाद की मद न0 02 में वादनी का नाम गीता पुत्री किशोरी दुरस्त कर लीला पुत्री किशोर दर्ज कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद की जावें। डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2022 को खुले इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

(श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना

फाईनल डिक्री मुकदमात इब्तदाई
(आ020 रूल0 6–7 जाप्ता दीवानी)

बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड राज0

प्रकरण संख्या: 27 / दावा / 2020 तारीख दायरा 23.03.2021

ऑन लाइन प्रकरण संख्या 2021 / 36

उनवान

लीलाबाई पुत्री किशोर जाति तंवर निवासी छान का पुरा मजरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़

---वादनी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राज0

--- प्रतिवादी

धारा 136 एल0आर0एक्ट

आज यह मुकद्मा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ अभिषेक चारण (आर0ए0एस0) बहाजरी वकील वादनी श्री कैलाश चन्द वैष्णव मिन जानिब मुद्दालय -------------ने पेश होकर वाद डिकी किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :-

ग्राम दांगीपुरा पटवार हल्का दांगीपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान के माल की खाता संख्या नया 239 पुरानी 201 की कुल 2 किता की 2.5576 हैक्टेयर भुमि, व खाता संख्या नया 114 पुरानी 100 की कुल 14 किता की 5.9165 हैक्टेयर भुमि आराजी में वाद की मद न0 01 में वादनी का नाम गीता पुत्री किशोर तथा वाद की मद न0 02 में वादनी का नाम का नाम गीता पुत्री किशोरी दुरूस्त कर लीला पुत्री किशोर दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

आज दिनांक 24.06.2022 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से मजमे आम मे जारी की गई।

(श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना